राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 34/2011/उदयपुर

मैसर्स द्वारका प्रसाद खेतान
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री पंकज घीया
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 07.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.10.2010 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी ब्रांच पवन मिनरल्स, शिवाजी नगर, उदयपुर के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत वैट कर मुक्ति हेतु वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2010–11 के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये। उक्त सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी के वृत के वाणिज्यिक कर अधिकारी से जांच कराई गई । वृत्ताधिकारी द्वारा पत्रांक 232 दिनांक 04.10.2010 द्वारा जांच रिपोर्ट अपीलीय अधिकारी को प्रेषित की गई । जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया कि संयुक्त निदेशक, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के प्रमाण पत्र संख्या 12868 दिनांक 08.06.2006 के अनुसार दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2006 तक की अवधि के लिए कर मुक्ति हेतु अभिशंषा की गई शेष अवधि दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2011 तक के लिए राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अनुशंषा नहीं होने के कारण 01.04.2006 से 31.03.2011 तक के लिए वैट कर मुक्ति आवेदन पत्र अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.10.2010 के द्वारा अस्वीकार कर दिये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 21.10.2010 से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही और प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर मुक्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को

खारिज किया है, जो विधि के प्रतिकुल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि यदि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक (mandatory) है । उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में कर मुक्ति आवेदन पत्र खारिज करने से पूर्व कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है, उन्होंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की यूनिट, अधिसूचना दिनांक 07.08.2009 से कवर्ड होने के कारण कर मुक्ति हेतु पात्रता रखती है इसलिए 01.03.2006 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए कर मुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त करना अनुचित है। उनका कथन है कि अधिसूचना दिनांक 09.03.207 का प्रभाव भूतलक्षी है, इसलिए 01.04.2006 से कर मुक्ति हेतु अनुशंषा आवश्यक नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के अन्तर्गत अनुशंषा करने की शर्त नहीं है, केवल राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम के तहत यूनिट का पंजीकृत होने की शर्त है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत कर मुक्ति हेतु आवेदन पत्र को एकतरफा कार्यवाही करते हुए खारिज किया गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान करावें कि वह कर मुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें ।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के कर मुक्ति आवेदन को खारिज करने से पूर्व सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि उन्होंने सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। किसी व्यवहारी के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा उसे दण्डित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उसे सुना जाना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका पूर्ण रूपेण अभाव है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई है।

अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत बहस एवं रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात न्याय हित में यह पीठ अपीलार्थी व्यवहारी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित समझती है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु एवं आदेश पारित करने हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देर्शित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें । अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 23.05.2017 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2010 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य